

31-5-19

पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण उपस्थित,  
वकील वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजीनामा  
का प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।  
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया गया कि प्रतिवादीगण  
सं. 1 की मरफु ले चुकी है तथा प्रतिवादी सं. 2 प्रतिवादी  
सं. 1 की एक मात्र पुत्री है। वकील वादीगण प्रतिवादी  
के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वादपत्र इसी  
स्टेज पर ड्रॉप फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना  
पत्र पर ममम किया। न्यायाहित में वकील वादीगण  
का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा  
प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से  
वादीगण का वाद पत्र इसी स्टेज पर ड्रॉप किया  
जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार लेकर दफ्तर दायित्व हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मांझ जिला मीसबाड़ा